



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 2019/माघ 23, 1940

No. 679]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 2019/MAGHA 23, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2019

**का.आ. 801(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 479(अ), तारीख 16.02.2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्;

सारणी 1 के बाद बिन्दु 1 (i) निम्नानुसार संशोधित माना जाएगा:

1. नीचे उद्धृते एवं संग्रहित शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात्;

टोल प्लाजा,प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिसके लिए शुल्क संदेय है
23.950 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 24.000 कि.मी.) (बीकानेर जिले में सालासर गाँव के पास)	51.050	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

84.400 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 84.500 कि.मी.) (बीकानेर जिले में नोखरा गाँव के पास)	74.500	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
141.830 कि.मी. (डिज़ाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 141.880 कि.मी.) (जोधपुर जिले में खिरवा गाँव के पास)	33.650	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %

[फ़. सं.भाराराप्रा/13013/780/सीओ/15-16/जीसी-बीकानेर-फलोदी (बीओटी)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2019

**S.O. 801(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 479 (E), dated 16.02.2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

(i) Point 1 after Table 1 shall stand revised as under:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
Km. 23.950 (design chainage) (Existing chainage km. 24.000) (near Salasar village in Bikaner district)	51.050	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 84.400 (design chainage) (Existing chainage km. 84.500) (near Nokhra village in Bikaner district)	74.500	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 141.830 (design chainage) (Existing chainage km. 141.880) (near Khirwa village in Jodhpur district)	33.650	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

[F. No. NHAI/13013/780/CO/ 15-16/GC- Bikaner-Phalodi (BOT)]  
PRIYANK BHARTI, Jt Secy.